

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली  
पीठासीन अधिकारी :-श्री हरफूलसिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :-29/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :- 2024/29

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

1. बाबूलाल पुत्र श्रीपालजी  
जाति मीणा उम्र-56 साल  
राजस्थान तरकार जरिए  
तहसीलदार, जालोर तक  
जालोर जिला जातोर राक

1. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार जालोर, जिला  
जालोर

2. भताराम पुत्र श्रीपालजी जाति  
मीणा उम्र-58 साल निवासीगण  
जालोर तहसील जालोर जिला  
जालोर राजक

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, जालोर के राजस्व प्रार्थना पत्र  
सं०-37/2005 बाबूलाल वगैरा बनाम सरकार में आदेश दिनांक 20.08.  
2019

उपस्थिति :-

1. श्री एस.के. मारु, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांक:- 29.10.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, जालोर, के आदेश दिनांक 20.08.2019 व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील के रेस्पों. अनुपस्थित।
3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि -



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

मौजा जालोर (ए) के पुराने खसरा नंबर 1771 मी. रकबा 15 बिधा (2.40 हैक्टर) किस्म बारानी सोयम सालाना लगाम 3.45 रुपये की कृषि भूमि राजस्व रेकर्डस जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 में हकीया पुत्र सूरता (मूल आवंटी) भील के नाम से अंकित थी वह एक मात्र रेकर्डेड खातेदार था। हकीया एस.टी. वर्ग का गरीब अनपढ, पत्थर तोड़ने की मजदूरी करता है तथा वह भूमिहीन कृषक था तत्कालिन पटवारी ने आवंटीत भूमि को चिन्हित कर बताया उसी जगह जीवनपर्यन्त कास्त करता रहा, गैरखातेदारी का म्यूटेशन व उसके बाद खातेदारी का म्यूटेशन नंबर 1573 दिनांक 12-6-1989 स्वीकृत हुआ इसलिए इस प्रकरण में आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की हो या कब्जा न हो या कास्त नहीं की हो वो बिन्दू विचारणीय नहीं है तथा सरकार की तरफ से भी ये बिन्दू जबाब में नहीं उठाये गये है।

हकीया की मृत्यू के समय मौजूद वारीसान प्रेमा वगैरा के पक्ष में फौतगी म्यूटेशन सं० 34 दिनांक 19.5.1990 स्वीकृत हुआ।

प्रेमा वगैरा तत्कालिन रेकर्डेड खातेदार ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 27.1.1994 को प्रार्थीगण के पक्ष में तकमीलकर बेचानकर्ता का जिस जगह कब्जा था उसी जगह कब्जा सुपुर्द किया, तब से लगाय आज तक प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा, रहवासी दाणी है जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन व कास्त के रूप में है।

राजस्व विभाग की अंतिम जमाबन्दी संवत 2045 में तैयार की उस वक्त प्रेमा वगैरा बेचानकर्ता रेकर्डेड खातेदार था। उसी वर्ष भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रि-सैटलमेन्ट की कार्यवाही आरम्भ हो गयी जो करीब 5-6 वर्ष चली। भू प्रबन्ध विभाग ने मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 से 2070 बनायी उसमें अपीलान्ट के कब्जा वाली कृषि भूमि के खसरा नंबर 1749 रकबा 2.40 हैक्टर में न तो बेचानकर्ता का नाम दर्ज किया न खरीददार का, सिवाय चक दर्ज कर दिया अतः प्रार्थीगण ने अपना नाम रजिस्टरी के आधार पर रेवेन्यू रेकर्डस में दर्ज कर दुरस्ती का प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. जालोर को पेश किया, खारिज हुआ उसके विरुद्ध यह अपील म्याद अन्दर पेश है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में प्रतिबन्धीत भूमियों का उल्लेख किया गया है यह प्रकरण उन कृषि भूमि की किस्म से सम्बन्धित नहीं होकर बारानी सोयम किस्म भूमि से सम्बन्धित है। अपीलान्टस का या बेचानकर्ता का सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण भी नहीं, इसलिए अतिक्रमण का भी यह मामला नहीं है।

यह है कि प्रार्थीगण रजिस्टर्ड बेचाननामे के तहत कब्जे में आये है अतः प्रार्थीगण का कब्जा भी वैध व प्रभावी है इसलिए सिवाय चक दर्ज होने के बावजूद हमें मौके से कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया।

अपीलान्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का भूमिधारी की तरफ से पेशी तारीख 10.1.2006 को सरकारी पैरोकार ने जबाब पेश किया उसमें यह स्वीकार किया है कि मौके पर खसरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हैक्टर पर कब्जा कास्त प्रार्थीगण का है। अतः रेकर्ड दुरस्ती 2.10 बहेक्टर तक की जा सकती है निर्णय में इसका जिक्र तक नहीं किया है।



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

इस स्वीकारोक्ति के बाद प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गत व हाल रेकॉर्ड व कब्जे बाबत दो बार भूमिधारी से रिपोर्ट तलब की है।

अ.) आर.आई. हल्का व पटवारी हल्का, जालोर ने दिनांक 16-9-2011 को मौके पर पहुंचकर गत व हाल खसरां के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट व रजिस्टर्ड वेचाननामा दिनांक 27-7-1994 का अवलोकन किया। पेरा संख्या-6 में स्पष्ट स्वीकार किया है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रेकॉर्ड तहरीर करते समय मिलान क्षेत्रफल त्रुटीवश नये खसरा नंबर 1749 गत खसरा नंबर 1973 से बनना बताया है जो मौके के अनुसार 1971 मीन से बने है। यानि प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि गत खसरा नंबर 1771 मीन के मिलान में वर्तमान खसरा नंबर 1749 बनना बताता था यह त्रुटी सैटलमेन्ट के कर्मचारियों ने की है। त्रुटीपूर्ण बनाये गये मिलान क्षेत्रफल को आधार मानकर सदभावी क्रेता का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

ब) एक अन्य मौका फर्द दिनांक 5.4.2018 जो आरआई हल्का व पटवारी हल्का जालोर(ए) ने मौके पर पहुंचकर बनायी जिसके नायब तहसीलदार, जालोर स्वयं थे, उन्होंने जरीब चलाकर नाप किया, नजरी नक्शा बनाया उसमें स्वीकार किया कि नजरी नक्शे में मार्क ए-बी-सी-डी-इ-एल में रकबा 00.11 हैक्टर में की शामलाती ढाणी मार्क 1-2 पक्के कमरे व 3-4 कच्चे कमरे बने हुए है जिसमें विद्युत पानी के कनेक्शन है पानी का टॉका है, परिवार सहित रहना स्वीकार किया है।

इसी रिपोर्ट में खसरा नंबर 1749 का दक्षिणी भाग काबिल कास्त कृषि भूमि का रकबा 1.99 हेक्टर नाप करने पर कब्जे में पाया गया। इस प्रकार 0.11 व 1.99 हैक्टर कूल 2.10 हैक्टर कब्जा नया होने का भी उल्लेख नहीं है।

इसी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे वाली कृषि भूमि खसरा नंबर 1749 रकबा 210 हैक्टर के पूर्वी दिशा के पाडोसी ने दिवार बनाई उस वक्त 0.30 हेक्टर दवाने के कारण रकबा 2.10 हैक्टर ही रहा।

इसी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि खसरा नंबर 1749 की दक्षिणी पश्चिमी माठ पर पाडोस में वन विभाग की जमीन है वन विभाग वालों ने अपने खर्चे से अपनी जमीन नापकर कब्जे में लेकर पक्की दिवार जो करीब 5-6 फुट की उचाई में बना दी। उसके बाद वन विभाग की जमीन खसरा नंबर 1749 में नहीं रही ये तथ्य दिवार बनाने से वन विभाग ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए है।



*29.10.24*  
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हैक्टर को वन विभाग का हिस्सा मानने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है।

स.) नायब तहसीलदार, जालोर ने मौके पर पहुंचकर दिनांक 6.4.2018 को एक रिपोर्ट बनायी उसमें स्वयं ने स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27-1-1994 को पंजीयन रजिस्टरी के जरिए खरीद से आज तक उसी जगह कब्जा कास्त व पुरानी ढाणीया रहवासी होना पाया गया।

गत व हाल रेकॉर्ड व मौकानूसार जाँच करने पर पाया गया कि खरीदी गयी जमीन खसरा नंबर 1774 के खतरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हैक्टर का मिलान क्षेत्रफल न बनाकर खसरा नंबर 1773 से बनना बताया है यानि मिलान क्षेत्रफल गलत होना दबे स्वरों में स्वीकार किया है।

इस प्रकार अपील के पेरा सं०-2 व पेरा सं०-3 के अ-ब-स में अंकित तथ्य भूमिधारी स्वयं ने स्वीकार किए गये है इस आधार पर मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था। जिसे खारिज करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

खसरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हैक्टर किस्म बारानी में सैटलमेन्ट कर्मचारीयों को या तो बेचानकर्ता का नाम दर्ज करना था या खरीददार का नाम दर्ज करना था। दोनों में से किसी का नाम दर्ज नहीं कर उन्होंने एक बार नहीं दो बार गलती की है। क्योंकि खरीददार ने रजिस्टरी की फोटो प्रति व प्रार्थना पत्र ए.एस.ओ. को पेश कर दिया था उसकी फोटो प्रति सलंगन है। प्रार्थीगण ने न तो बेचान किया, न राज हक में सरेण्डर किया। ऐसी स्थिति में उन्हें बेचानकर्ता व खरीददार का नाम मूल प्रविष्टी में से हटाने का अधिकार ही नहीं था। इस बिन्दू पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आर. आर-टी- 2009(2) पेज 954 मोहम्मद मुस्ताक बनाम पीरू तथा आरबीजे- 2003(10) पृष्ठ सं०-118 रूपनारायण बनाम कजोडमल नजरो की फोटो प्रति बहस के समय पेश की लेकिन ऐसा प्रतित हो रहा है कि खारिज करने वाला निर्णय पूर्व निर्धारित था, इसलिए प्रस्तुत नजीरों का उल्लेख तक निर्णय में नहीं किया।

उपरोक्त दोनों नजीरों के तथ्य व इस प्रकरण के तथ्य तमान होने से पूर्णरूप से लागू होते है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलान्ट का नाम हाल खसरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हैक्टर में दर्ज करने हेतु तहसीलदार को स्पष्ट आदेश दिलाया जावे।

पुराने खसरा नंबर 1771 के पाडोसी खसरा नंबर 1773 वन विभाग के खाते में गैरसुमकिन भाकरी का रकबा अन्तिम जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 के अनुसार 1689 बीघा था। इस अवधी में ही रिसैटलमेन्ट कार्यवाही भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयों ने आरभ की तो भू प्रबन्ध समाप्त होने के बाद पुनः 1689 बीघा ही वन विभाग के नाम दर्ज करना चाहिए था। क्योंकि उन्हें गत के अनुरूप इन्द्राज का अधिकार है लेकिन मिलान क्षेत्रफल के आधार पर हाल रेकॉर्ड में 292.97 हेक्टर वन विभाग के खाते में रकबा दर्ज किया जो गत के मुकाबले अधिक है।



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

वर्तमान खसरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हेक्टर के अलावा भी गत के मुकाबले अधिक रकबा पहले से ही वन विभाग के पास उपलब्ध है तो इससे भी सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने मिलान क्षेत्रफल बनाने में वन विभाग का रकबा बिना किसी आदेश के बढ़ाने में कानूनी त्रुटी की है।

जब वन विभाग वालों ने अपनी जमीन लेने के बाद ही दिवार बना दी तथा खसरा नंबर 1749 की किस्म गैरमुमकिन भाखरी न होकर बारानी सोयम है तो भी 1749 को वन विभाग की जमीन मानने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

पूराने खसरा नंबर 1773 जो वन विभाग के खाते में गैरमुमकिन भाखरी दर्ज था वर्तमान खसरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हेक्टर यदि उस का हिस्सा है जैसा मिलान क्षेत्रफल बता रहा है तो इसकी किस्म भी गैरमुमकिन भाखरी दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सर्वे के दौरान मौके पर भाखरी नहीं पाई काबिल कास्त में फसल खड़ी थी इसलिए भूमि की किस्म बारानी दर्ज हुई जिससे यह साबित है कि खसरा नंबर 1749 पूराने खसरा नंबर 1773 का हिस्सा नहीं होकर खसरा नंबर 1771 का ही हि है जैसा कि आर आई, पटवारी, नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में माना है।

पूराने खसरा नंबर 1771 के जितने नवीन खसरा नंबरान बने हैं उसमें से किसी भी खसरे में एक इंच कृषि भूमि बेचानकर्ता या खरीददार के नाम दर्ज हो गया हो ऐसा कोई रेकॉर्ड भूमिधारी ने पेश नहीं किया है। इसलिए इस प्रकरण में ऐसा भी नहीं है कि पूराने खसरा नंबर 1771 के नये बने खसरो में बेचानकर्ता या खरीददार के नाम दर्ज हो गया हो और खसरा नंबर 1749 अलग से नये सिरे में नाम दर्ज करवाना चाहते हो ? अपीलान्ट की इस्तदुआ अन्तिम जमाबन्दी के इन्द्राज के आधार पर रजिस्टर्ड बेचाननामे के आधार पर ही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भूमिधारी या राज्य सरकार को हानि नहीं होनी है।



निर्णय के अन्तिम पृष्ठ में यह तो स्वीकार किया है कि कयसुदा खातेदारी आराजी को विलुप्त कर आवंटी हकीया के अतिक्रमित आराजी पर प्रार्थीगण का भी वर्तमान में अतिक्रमण बताया जा रहा है जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता तो फिर प्रस्तुत नजीरों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार कर दुरस्ती के आदेश धारा 136 में करने में एल.आर. ओ. सक्षम था व है

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.8.2019 को होना बताया जा रहा है लेकिन बहस सुनने के बाद निर्णय रिजर्व में रखा, निर्णय के बारे में 5-7 बार पूछा गया तो हर बार यह बताया गया कि फाईल साहब के पास पडी है जब दिनांक 17-10-2019 को साहब से मिलना हुआ तो बताया कि निर्णय तो 20-8-2019 में ही कर दिया है इस प्रकार दिनांक 20-8-2019 के निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 17-10-2019 को ही हुई इससे पूर्व जान- कारी नहीं थी। उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 20.10.2019 को मिली नकलों में तीन दिन का समय लगा नकल मिलने के बाद अपील तैयार करवा कर मजदूरी के मांगते पैसे लाने में सात दिन का समय लगा। शुक्रवार, शनीवार, सोमवार,

6/11  
29.10.24  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

मंगलवार को दिपावली का अवकाश था अवकाश आज दिनांक 30-10-2019 को खुलते ही अपील पेश की जा रही है जो तारीख जानकारी से अपील अन्दर म्याद पेश है। मामूली डिले अपील तैयार करवाने में व पैसों की व्यवस्था करने में लगा है जो न्याय हित में डिले कन्डोन किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्टस की पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर मौजा जालोर(ए) के वर्तमान खसरा नंबर 1749 रकबा 2.10 हैक्टर किस्म बारानी सोयम सालाना लगान रूपये 3.45 की वर्तमान जमावन्दी सिवायचक के स्थान पर प्रार्थीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर में बहैसियत खातेदार के रूप में दर्ज करन के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

6. राजकीय पैरोकार तहसीलदार, जालोर द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट / जवाब अनुसार कथन इस प्रकार है-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा जालोर ए के गत खसरा नम्बर 1771 में से 15 बीघा भूमि श्री हकीया पुत्र सुरता जाति भील जालोर को आवंटित हुई थी। और उसे राजस्व रेकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया था। और फिर बाद में नियमानुसार खातेदार दर्ज किया गया। और खातेदार की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान के नाम फोतेदगी म्युटेशन दर्ज किया गया। उसके वारिसान सर्व श्री प्रेमा, जीवा, चतरा पि. हकीया तथा चुनी देवा हकिया द्वारा उक्त आराजी का वैचान वर्तमान अपीलान्टस् सर्व श्री बाबुलाल तथा भवुताराम पि. श्रीपालजी मीणा को किया गया। उक्त आवन्टी मृतक श्री हीरका मौके पर यानि गत खसरा नम्बर 1771 पर काविज नहीं होकर पर पड़ौसी खसरा नम्बर 1773 पर काविज रहता आ रहा था। जिससे उसका उक्त खसरा नम्बर 1773 पर अतिक्रमण खसरा परिवर्तनशील में चला आ रहा है। और संम्बन्धित तत्कालिन एजेन्सी पटवारी हल्का तथा भू.अ.नि. हल्का तथा नायब तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त मृतक हीरका तथा उसके बाद वारिसान पुत्रो वगैरा और फिर उसके बाद वर्तमान अपीलान्टस् खरीददारान का कब्जा कास्त तथा रहवासी ढाणी वगैरा खसरा नम्बर 1773 में स्थित है। इस खसरा नम्बर 1771 तथा 1773 की विभिन्नता के वारे में उनका कथन रहा की वक्त आवंटन उनको तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा खसरा नम्बर 1773 पर कब्जा दिया जाकर काविज किया गया था। जिस पर वे लोग आज तक बदस्तुर अनवरत काविज कास्त चले आ रहे है। कि इस प्रकार उक्त आवंटित खसरा नम्बर 1771 पर काविज नहीं रह कर खसरा नम्बर 1773 पर काविज होना उनके द्वारा जाहिर किया जा रहा है। उनका खसरा नम्बर 1773 पर अतिकमी के रूप में मौके पर कब्जा कास्त खसरा परिवर्तनशील रेकड अनुसार है। मगर रेवेन्यु रेकॉर्ड में उनका नाम खसरा नम्बर 1771 में दर्ज चला आ रहा है। जिस पर उनकी गैर खातेदारी, फिर खातेदारी एवं फोतेदगी म्युटेशन तथा वैचान रजिस्ट्री वगैरा सभी रेवेन्यु रेकड गत खसरा नम्बर 1771 से संम्बन्धित रहा है।

इस सन्दर्भ में उनका यह भी तर्क एवं कथन रहा है कि सैटलमेन्ट द्वारा गत खसरा नम्बर 1771 का नवीन खसरा नम्बर 1749 दर्ज किया जाने चाहिये थे। गलती से नहीं करके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 1749 गत खसरा नम्बर 1773 से बना दर्शाया गया है। जो कि वास्तव में 1771 से बने है। पटवारी हल्का व गीरदावर हल्का की



29/10/24  
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

जाचं तथा नायब तहसीलदार की भी मौका तथा रेकॉर्ड तुलनात्मक जाचं रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 1749 गत खसरा नम्बर 1773 से बनना मिलान क्षेत्रफल दर्शाया गया है। जो कि वन विभाग की खाता भूमि है। जबकि वास्तविक रूप से हाल खसरा नम्बर 1749 गत खसरा नम्बर 1771 से बना है।

मगर रेकॉर्ड तहरीर के वक्त गलती से हाल खसरा नम्बर 1749 गत खसरा नम्बर 1773 से बनना दर्शाया गया है। जो कि गत खसरा नम्बर 1771 से हाल खसरा 1749 बनना दर्ज होना चाहिये था।

उक्त गलती एवं त्रुटि सैटलमेन्ट द्वारा गत एवं हाल खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल तेहरीर करते वक्त हुई है। जो गत खसरा नम्बर 1771 के नवीन खसरा नम्बर 1749 दर्शाना चाहिये था। जो खसरा नम्बर 1773 से बनना दर्शाया गया है। इसलिये उनकी खातेदारी गत खसरा नम्बर 1771 में दर्शित है। और इसी कारण गत खसरा नम्बर 1773 हाल खसरा नम्बर 1749 पर उनका अतिक्रमण प्रदर्शित है। जबकि वे खसरा नम्बर 1771 पर काबिज के आधार पर रेवेन्यु रेकॉर्ड दुरुस्ती की मांग कर रहे हैं। जो कि कानूनी स्थिति माफिक सैटलमेन्ट समाप्ति पश्चात् सैटलमेन्ट के सभी अधिकार यानि लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को निहित होते हैं। हो जाते हैं।

7. प्रकरण में बहस सुनी गई। अपीलाण्ट के वकील ने अपनी बहस प्रस्तुत कर कहा की जालोर ए क गत खसरा सं. 1771 में से 15 बीघा भूमि श्री हकीया पुत्र सुरता भील के जालोर को आवंटित हुई थी। बाद आवंटन के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवंटी को प्राप्त हो गये थे। उक्त भूमि का मैं सदभाविक क्रेता हू एवं मौके पर काबिज हूँ। राजस्व रिकॉर्ड में आवंटित भूमि सैटलमेंट उपरान्त सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसकी रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में भू अभिलेख अधिकारी सक्षम है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय भू अधिकारी एसडीओ द्वारा पारित निर्णय में इस बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है जो विधी के प्रावधानो के विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाने की प्रार्थना की। रेस्पोजेण्ट तहसीलदार, जालोर को बार-बार लिखित सूचना देने पर भी उपस्थित नहीं हुए। वक्त बहस उपस्थित नहीं हुए अतः पत्रावली में तहसीलदार द्वारा लिखित प्रत्युत्तर को ही बहस मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की गई।

8. पत्रावली पर उपलब्ध समग्र तथ्यो का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। तथा अधिनस्थ न्यायालयो की पत्रावली का वगैर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गयाकि प्रकरण के तथ्यो के अनुसार प्रथम दृष्टया ही प्रकरण रिकार्ड दुरुस्ती का है। अपीलाण्ट के विक्रेता को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन की गई थी। इसके उपरांत गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी किये जा चुके हैं जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी मौके पर भी प्रारम्भ से ही काबिज रहा है क्योंकि खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने हेतु आवंटी का मौके पर काबिज होना एक आवश्यक शर्त है जिसकी पूर्ति होने पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। एवं प्रकरण में प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा भू



29.10.24  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

प्रबन्ध संकिया के पूर्व व बाद के भू अभिलेख संधारण में हुई त्रुटि को दुरस्त करने की प्रार्थना की है। जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से पुष्ट भी होती है। जिसका गुणवगुण पर निर्णय अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ही किया जाना वांछनीय है। एवं प्रकरण घोषणा एवं हक वाद से कतई संबंधित नहीं है।

यह प्रकरण मूलतः अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2005 से लंबित था। एवं अधिनस्थ न्यायालय में यह प्रकरण धारा 136 के अन्तर्गत काफी लम्बे समय लम्बित रहने के उपरान्त इस बाबत पारित निर्णय दिनांक 28.08.2019 द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ध्यान पूर्वक सुना भी नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा 136 में दर्ज करने के पश्चात संबंधित पक्षकार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं पर पारित निर्णय में समुचित विवेचन भी नहीं किया गया है। एवं न ही अपीलान्ट को सी पी सी के विधिक प्रावधानों के अनुसार सुना गया है। एवं प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं को भी पारित निर्णय में विवेचन नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।



10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के प्रकरण संख्या 37/2005 निर्णय दिनांक 20-08-2019 बाबूलाल वगैरा बनाम सरकार को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर को प्रकरण इन दिशा निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता प्रकरण धारा 136 राज. भू राजस्व अधि. की प्रकृति का है। इसलिए अपीलान्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं परीक्षण करने के बाद गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
पाली (राज.)